24/3/25

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक न्यायालय विविध 2025 / 42033 दिनांक 13-02-2025 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा की पत्रावली उत्तरवाद, [illegible] क्रमांक [illegible] स्थानान्तरित होकर न्यायालय सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा में प्राप्त हुई है पत्रावली प्राप्त से / प्रार्थना पत्र [illegible]/25 पंजीबद्ध किया जाकर पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान की सुनवाई हेतु दिनांक 27/3/25 को पेश हो

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

27/3/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली स्थगित आदेश
दिनांक 23/6/25 को पेश हो।

आदेश से रीडर

23/6/25

श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक न्याय / विविध / 2025 / [illegible] दिनांक 13/2/25 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा [illegible], 183, 188 एवं 212 के अन्तर्गत विचाराधीन तहसील सवाईपुर की पत्रावलियां स्थानान्तरित होकर वास्ते सुनवाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त पक्षकारान को वास्ते सुनवाई समक्ष किया जाकर कार्यवाही की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से अंतरित उक्त पत्रावलियों का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु एवं जनहितार्थ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 216 (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलियों में त्वरित न्याय प्रदान किये जाने एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु कैम्प कोर्ट दिनांक 23/6/25 को सवाईपुर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 17/7/25 को पेश हो।

रीडर
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

17/7/25

पत्रावली पेश हुई। वादी अभिवक्ता उप। वादी अभिवक्ता द्वारा पत्रावली में अंकित फर Not Press अंकित किया जाकर पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया गया। अतः वादी अभिवक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किये जाने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्धारित शुल्क वापस कराया जाया। पत्रावली फौजल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा रजिस्टर से कम हो।

17/7/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा